फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - शमसाबाद

दि0- 09.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.अजीत कुमार उर्फ टीटू 2.कश्मीर सिंह उर्फ लालेश 3.अवनीश कुमार उर्फ सुनील कुमार उर्फ गप्पे पुत्रगण रामेश्वर निवासी गण धमगंवा थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ हालपता मोहल्ला नेकपुर कला कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0स0 - 04/2008 वाद संख्या 198/2008 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 द0प्र0 अधिनियम थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ पर पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 / एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 09.09.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 25000/- 25000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार

को0 मो0 - हे0का0 सुनील कुमार

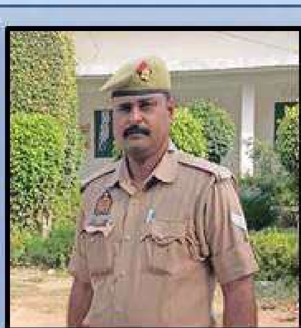

पैरोकार - हे0का0 राजेश कुमार